5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — CANCELLED (×4)

225
25-08-15

नि/2970/II/15

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

B.O.R.

निगरानी प्र.क्र. वर्ष

श्रीमति दरकशा पत्नी श्री शहनवाज

निवासी – नारायणपुरा रोड छतरपुर म.प्र. ....आवेदिका

12 AUG 2015

बनाम

देवकी नंदन तनय लक्ष्मण प्रसाद तिवारी

निवासी--ग्राम महतौल जिला छतरपुर म.प्र.

2. म0प्र0 शासन ....अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्र. 89/अ–12/2014–15 देवकी नंदन बनाम शासन म.प्र. में पारित आदेश दिनांक 24.07.2015 एवं की गई कथित सीमांकन कार्यवाही एवं आदेश के विरूद्ध

श्रीमान्

सेवा में आवेदिका निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करती है :–

(1) यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक महोदय छतरपुर तहसील छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्र. 89/अ–12/2014–15 में दिनांक 24.07.15 को सीमांकन संबंधी आदेश पारित किया उक्त आदेश से दुखी होकर आवेदिका यह निगरानी प्रस्ततु कर रही है जो निर्धारित समयावधि के अन्दर है तथा इस न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है।

(2) यह कि आवेदिका द्वारा निम्नलिखित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.05.09 को क्रय की गई थी जिसका विवरण इस प्रकार है :–

क्रमशः 2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 2970-II/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-2-16	मैंने प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। इनके आधार पर मैं प्रकरण में निम्न प्रमुख बिन्दु टीप योग्य पाता हूँ :- 1) रा. नि. के समक्ष का प्रकरण दि. 4.7.15 को प्रारम्भ हुआ है, जबकि पंचनामा, फील्ड बुक, मौका नक्शा उसके पूर्व की दिनांक 23-6-15 के हैं। 2) सूचनापत्र में अंकित दि. 23.6.15 में काटपीट/ उपरलेखन है। 3) RI के आक्षेपित आदेश दि. 24.7.15 में, निगराकार द्वारा प्रस्तुत आपत्ती दि 30.5.15 का तहसीलदार द्वारा दि. 15-6-15 को निराकरण कर दिए जाने के लेख हैं। गैरनिगराकार द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन दि 22.5.15 को तहसीलदार को दिया गया है। निगराकार द्वारा दि. 30.5.15 की आपत्ती SDO को दी गई जिसे उन्होंने उसी दिनांक को RI छतरपुर को मार्क किया। 4) निगराकार ने (गैरनिगराकार द्वारा सीमांकन हेतु आवेदित 9 किता भूमियों सहित) कुल 21 किता भूमियां अपने स्वामित्व की बताई हैं, जिनके बटवारे के विरुद्ध उसने अपर आयुक्त, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत करना बताया है। किन्तु अपर आयुक्त के किसी स्थगन अथवा	

[कृ. प. उ.

2

R-2920/II/15.   छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	9(क्र)8 कार्यवाही तथा आदेश देवकीनंदन	पक्षकारों एवं अभिभाषका आदि के हस्ताक्षर
	अन्य आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराई है। 5) तहसीलदार ने निगरानीकार की आपत्ती दिनांक 30-5-15 का क्या निराकरण दि 15-6-15 को किया इस बात खुलासा RI के आक्षेपित आदेश में नहीं है। उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में मैं तहसीलदार छतरपुर को यह निर्देश देता हूँ कि वे उपरोक्त बिन्दु क्र. 1), 2) एवं 5) पर स्थिति स्पष्ट करते हुए, निगरानीकार के सीमांकन आवेदन पर नए सिरे से बोलते स्वरूप का सुस्पष्ट आदेश पारित करें, जिसमें निगरानीकार की आपत्ती के निराकरण का भी समुचित खुलासा विद्यमान हो। ऐसा आदेश, तहसीलदार उन्हें रा. मं. के इस आदेश की सूचना के अधिकतम दो माह के भीतर, पारित करना सुनिश्चित करें। तब तक के लिए RI का आक्षेपित आदेश दि. 24-7-15 प्रभावहीन रहेगा। आदेश पारित। पक्षकार एवं तहसीलदार, छतरपुर सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। (सदस्य) 2.2.16	